अनुदान संख्या 96 - चंडीगढ़
GRANT No. 96–CHANDIGARH

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*32,42,00*	*31,16,07*	*–1,25,93*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*1,00,00*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1018,50,00		1060,88,00	1058,07,03	–2,80,97
पूरक	Supplementary	42,38,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					57,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*55,00*	*55,00*	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted -					
मूल	Original	134,49,00		151,83,00	152,11,35	+28,35
पूरक	Supplementary	17,34,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
ध-सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	**S-Ministry of Road Transport and Highways**					
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"					
सड़क परिवहन	Road Transport					
मू.	*O.*	*150.00*		*32.00*	*31.96*	*–0.04*
पु.	*R.*	*–118.00*				

(I) *2.00 लाख* रु. का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष ''3055'' - ''चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम-प्रचालन'' के अंतर्गत *118.04 लाख* रु. की बचत (*150.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) न्यायालय द्वारा कम संख्या में मामलों का निर्णय दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3055" - "Chandigarh Transport Undertaking - Operation"- saving of *Rs.118.04 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.150.00 lakhs*) was due to less number of cases decided by the Court.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
ञ-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	**J- Ministry of Health and Family Welfare**				
मुख्य शीर्ष ''2210'' चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health				
मू.	O.	7913.00	7736.54	7729.89	–6.65
पु.	R.	-176.46			
ट-प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	**K-Department of Elementary Education and Literacy**				
मुख्य शीर्ष ''2202'' सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	5218.00	4725.59	4658.16	–67.43
पु.	R.	–492.41			
मुख्य शीर्ष ''2236'' पोषण	Major Head "2236" Nutrition				
मू.	O.	180.00	312.00	311.78	–0.22
पु.	R.	132.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ठ-माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**L-Department of Secondary Education and Higher Education**				
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	9812.00			
पू.	S.	238.00	10128.72	10113.24	–15.48
पु.	R.	78.72			
ध-सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	**S-Ministry of Road Transport and Highways**				
मुख्य शीर्ष "3055" सड़क परिवहन	Major Head "3055" Road Transport				
मू.	O.	7445.00			
पू.	S.	715.00	8215.97	8214.19	–1.78
पु.	R.	55.97			
प-शहरी विकास मंत्रालय	**U-Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "2058" लेखन सामग्री और मुद्रण	Major Head "2058" Stationery and Printing				
मू.	O.	1133.00			
			980.20	966.01	–14.19
पु.	R.	-152.80			
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	869.00			
			968.56	968.53	–0.03
पु.	R.	99.56			

(I) 11.20 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.11.20 lakhs remained wholly unutilised under ten heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2210'' - "चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - सरकारी चिकित्सा कालेज'' के अंतर्गत 222.03 लाख रु. की बचत (4828.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष "2202'' के अंतर्गत - बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "प्रारंभिक शिक्षा - निदेशन और प्रशासन - प्राथमिक विद्यालय''- 465.92 लाख रु. की बचत (4519.35 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा दावों के कम प्राप्त होने और बिजली और पानी के बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - गैर सरकारी कालेज और संस्थानों को सहायता - प्राइवेट कालेजों को सहायता अनुदान''- 102.21 लाख रु. की बचत (1365.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायता अनुदान कम जारी किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2058'' - "सरकारी मुद्रणालय - सरकारी मुद्रणालय, चंडीगढ़'' के अंतर्गत 120.82 लाख रु. की बचत (818.75 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और मशीनरी का क्रय न किए जाने के कारण हुई।

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत 291.36 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत से 41 प्रतिशत तक थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (83.94 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3055'' - "चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम-प्रचालन'' के अंतर्गत मार्च, 2006 में 715.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 100.96 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक

(II) Under Major Head "2210" - "Medical Education Training and Research - Allopathy - Government Medical College" - saving of Rs.222.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4828.00 lakhs); and

(III) Under Major Head "2202" - saving occurred under the following heads:-

(A) "Elementary Education - Direction and Administration - Primary Schools"- saving of Rs.465.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4519.35 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, less receipt of medical claims and non-receipt of electricity and water bills.

(B) "University and Higher Education - Assistance to Non-Government Colleges and Institutes - Grants-in-aid to Private Colleges"- saving of Rs.102.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1365.00 lakhs) was due to less release of Grants-in-aid.

(IV) Under Major Head "2058" - "Government Presses- Government Press, Chandigarh" - saving of Rs.120.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.818.75 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-purchase of machinery.

(V) Under four heads savings of Rs.291.36 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 18 percent to 41 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.83.94 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.715.00 lakhs in March, 2006 under Major Head "3055" - "Chandigarh Transport Undertakings - Operation". Actual excess, however, was Rs.100.96 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under

व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2236" - "पोषक भोजन और सुपेय का उत्पादन - मध्याह्न भोजन - बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन"- 131.78 लाख रु. का अधिक व्यय (180.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने और लंबित बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2236" - "Distribution of Nutritious Food and Beverages - Mid-Day Meals-Mid-Day Meals for Children" - excess of Rs.131.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.180.00 lakhs) was due to increase in number of beneficiaries and clearance of pending bills.

(खा) मुख्य शीर्ष "2202" - "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - सरकारी कालेज और संस्थान - कला और विज्ञान कालेज"- 119.58 लाख रु. का अधिक व्यय (1543.04 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते की अदायगी किए जाने और कंप्यूटरों को संस्थापित किए जाने के कारण हुआ।

(B) Major Head "2202" - "University and Higher Education - Government Colleges and Institutes - Arts and Science Colleges" - excess of Rs.119.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1543.04 lakhs) was due to payment of dearness allowance and installation of computers.

(गा) मुख्य शीर्ष "2216" - "सरकारी रिहायशी भवन-सामान्य पूल आवास - अनुरक्षण और मरम्मतें"- 105.20 लाख रु. का अधिक व्यय (750.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी मकानों का रख-रखाव किए जाने के कारण हुआ।

(C) Major Head "2216" - "Government Residential Buildings - General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs" - excess of Rs.105.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.50 lakhs) was due to maintenance of Government houses.

(III) उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 198.66 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 77 प्रतिशत तक था।

(III) Under three heads excess of Rs.198.66 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 15 percent to 77 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, यद्यपि मार्च, 2006 में 1734.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया, व्यय स्वीकृत प्रावधान से 28.35 लाख रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय 28,34,562 रु. था)। **इस अधिक व्यय को संसद से अनुदान की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

4. In the voted portion of the capital section of the grant, although supplementary grant of Rs.1734.00 lakhs was obtained in March, 2006, the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.28.35 lakhs (actual excess was Rs.28,34,562). **The excess requires regularisation by voting of excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Excess/savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
क-गृह मंत्रालय	**A-Ministry of Home Affairs**					
मुख्य शीर्ष "4055'' पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police					
मू.	O.	150.00		336.89	336.82	–0.07
पु.	R.	186.89				
मुख्य शीर्ष "4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works					
मू.	O.	105.00		292.00	291.71	–0.29
पु.	R.	187.00				
ध-विद्युत मंत्रालय	**D-Ministry of Power**					
मुख्य शीर्ष "4801'' बिजली परियोजनाओं पर पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects					
मू.	O.	3221.00				
पू.	S.	100.00		2758.50	2786.11	+27.61
पु.	R.	–562.50				
ञ-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	**J-Ministry of Health and Family Welfare**					
मुख्य शीर्ष "4210'' चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health					
मू.	O.	926.00		514.62	514.47	–0.15
पु.	R.	–411.38				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ढ-युवा मामले और खेल मंत्रालय	**N-Ministry of Youth Affairs and Sports**				
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education Sports, Art and Culture				
मू.	O.	87.00	394.00	394.00	. .
पु.	R.	307.00			
प-शहरी विकास मंत्रालय	**U-Ministry Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "4217" शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4217" Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	6663.00	8693.86	8695.55	+1.69
पू.	S.	1634.00			
पु.	R.	396.86			

(I) अधिक व्यय (859.00 लाख रु.) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गया जैसा कि मुख्य शीर्ष "4217" - "राज्य की राजधानी का विकास - भूमि - अधिग्रहण" के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(I) The excess (Rs.859.00 lakhs) occurred for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant under Major Head "4217" - "State Capital Development - Land - Acquisition".

(II) अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(II) Excess also occured under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4055" - "पुलिस आवास - भवन" - 156.94 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुलिस मकानों के चालू निर्माण कार्य को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "4055" - "Police Housing - Building" - excess of Rs.156.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs) was due to completion of the ongoing construction work of police houses.

(खा) मुख्य शीर्ष "4059" - "अन्य भवन - निर्माण - न्याय प्रशासन" - 129.21 लाख रु. का अधिक व्यय

(B) Major Head "4059" - "Other Buildings - Constructions - Administration of Justice" - excess

(80.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू कार्य को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''खेल-कूद और युवा सेवाएं- अन्य व्यय - भवन''- 307.00 लाख रु. का अधिक व्यय (87.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम का उन्नयन किए जाने के कारण हुआ।

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत 251.90 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत से 230 प्रतिशत था।

5. उपर्युक्त अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतों द्वारा प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) 15.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत पूर्णतया प्रयुक्त हो गया।

(II) मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''संचरण और वितरण - चंडीगढ़ में बिजली का संचरण और वितरण - बिजली का वितरण'' के अंतर्गत 556.05 लाख रु. की बचत (2721.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 66 केवी उप-केंद्र के सृजन के लिए भूमि का आबंटन न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''4210'' - ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - सरकारी चिकित्सा कालेज/500 बिस्तर वाला दूसरा सामान्य अस्पताल सेक्टर-32, चंडीगढ़'' के अंतर्गत 317.34 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी चिकित्सा कालेज, चंडीगढ़ में मकानों के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''4217'' - ''राज्य की राजधानी का विकास - निर्माण - अन्य स्कीमें'' के अंतर्गत 303.32 लाख रु. की बचत (1793.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

of Rs.129.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.80.00 lakhs) was due to completion of the ongoing work.

(C) Major Head "4202" - "Sports and Youth Services - Other Expenditure - Building" - excess of Rs.307.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.87.00 lakhs) was due to upgradation of hockey and cricket stadium.

(III) Under three heads excess of Rs.251.90 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 19 percent to 230 percent of the sanctioned provision.

5. The above excess was offset by savings under the following major heads:-

(I) Provision of Rs.15.00 lakhs remained wholly unutilised under Major Head "4202" - "Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture".

(II) Under Major Head "4801" - "Transmission and Distribution - Transmission and Distribution of Power in Chandigarh - Distribution of Power" - saving of Rs.556.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2721.00 lakhs) was due to non-allotment of land for creation of 66 KV sub-station.

(III) Under Major Head "4210" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Government Medical College/500 Bedded Second General Hospital Sector-32, Chandigarh" - saving of Rs.317.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to late receipt of administrative approval for construction of houses in Government Medical College, Chandigarh.

(IV) Under Major Head "4217" - "State Capital Development - Construction - Other Schemes" - saving of Rs.303.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1793.00 lakhs) was due to non-receipt of administrative approval.

(V) सात शीर्षों के अंतर्गत 522.90 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 42 प्रतिशत से 92 प्रतिशत तक थीं।

(V) Under seven heads savings of Rs.522.90 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 42 percent to 92 percent of the sanctioned provision.